उत्तर प्रदेश शासन

स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-2

संख्या: 4/2022/208/94-स्टा0नि0-2-2022-700(11)/2022

लखनऊ, दिनांक: 14 मार्च, 2022

अधिसूचना

आदेश

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (अधिनियम संख्या 2 सन् 1899) की धारा 9 की उपधारा(1) के खण्ड (क) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से, अयोध्या हवाई अड्डा के प्रथम चरण के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश में अयोध्या स्थित भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पक्ष में निष्पादित पट्टा विलेख पर संदेय स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करती हैं।

आज्ञा से,

वीना कुमारी
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:- 4/2022/208/94-स्टा0नि0-2-2022-700(11)/2022 दिनांक: 14 मार्च, 2022

प्रतिलिपि- हिंदी एवं अंग्रेजी अधिसूचना की प्रति सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इसे दिनांक-14 मार्च, 2022 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) में अवश्य प्रकाशित करा दें और तत्पश्चात गजट की 100 प्रतियाँ आयुक्त, स्टाम्प उत्तर प्रदेश, लखनऊ को तथा 50 प्रतियाँ शासन के इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें |

अजय कुमार अवस्थी
विशेष सचिव।

संख्या:- 4/2022/208/94-स्टा0नि0-2-2022-700(11)/2022 दिनांक: 14 मार्च, 2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- अपर मुख्य सचिव, नागरिक उड्डयन विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0 लखनऊ।
3- महानिरीक्षक निबंधन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0।
4- मण्डलायुक्त, अयोध्या।
5- जिलाधिकारी, अयोध्या।
6- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), अयोध्या पदेन जिला निबंधक।
7- उप महानिरीक्षक निबंधन, अयोध्या।
8- सहायक महानिरीक्षक निबंधन, अयोध्या।
9- विधायी अनुभाग-1
10- भाषा अनुभाग-5
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अशोक कुमार पाण्डेय
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Stamp Evam Registration Anubhag -2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 4/2022/208/94-SR-2-2022-700(11)/2022, dated : 14 March, 2022

Notification
Order

No. 4/2022/208/94-SR-2-2022-700(11)/2022
Lucknow, Dated : 14 March, 2022

In exercise of the powers under clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Act No. 2 of 1899), as amended in its application to Uttar Pradesh read with section 21 of the General Clauses Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) the Governor, from the date of the publication of this notification in the Gazette, is pleased to remit the stamp duty payable on the lease deed executed by the Government of Uttar Pradesh in favour of Airports Authority of India relating to the land located in Ayodhya, Uttar Pradesh for the development of first phase of Ayodhya Airport.

By Order,

Veena Kumari
Pramukh Sachiv.

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।